

संख्या - 1577 / V-2-2016-17(आ0) / 2014

प्रेषक,
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 25 नवम्बर, 2016

विषय : इन्दिरा मार्केट पुनर्विकास परियोजना हेतु निर्धारित नीति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1930/पी0एम0यू0/2016 दिनांक 25-10-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-410/V-2-2016-17(आ0)/2014 दिनांक 09 मार्च, 2016 द्वारा निर्धारित "इन्दिरा मार्केट पुनर्विकास परियोजना" की नीति के प्रस्तर-5 के श्रेणी-6 में उल्लिखित ऑटोमेकेनिक श्रेणी के दुकानों (Automechanic shops) के आवंटन में निम्नवत् संशोधन किया जाता है-

क.सं.	प्रस्तावित ब्लाक	दुकान का आकार	तल	संख्या
1	ब्लाक-A	6 फीट * 9 फीट	प्रथम तल	15
2	ब्लाक-B	7 फीट * 9 फीट	प्रथम तल	10
3	ब्लाक-D	8 फीट * 10 फीट	भूतल	54
4	ब्लाक-D	8 फीट * 10 फीट	प्रथम तल	54
कुल योग				133

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया "इन्दिरा मार्केट पुनर्विकास परियोजना" की नीति के प्रस्तर-5 के श्रेणी-6 में उल्लिखित ऑटोमेकेनिक श्रेणी के दुकानों (Automechanic shops) के आवंटन में उपरोक्त तालिका के अनुसार किए गये संशोधन के क्रम में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या-1577 / V-2-2016-17(आ0) / 2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- गार्ड फाइल।

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव